न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 892 / 2022

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर (फौत)
   1/1. रूणेची देवी पत्नी स्व0 हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
   1/2. सन्तोष पुत्री स्व0 हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
   1/3. प्रतापसिंह पुत्र स्व0 हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
   1/4. पालाराम पुत्र स्व0 हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
   1/5. आदराम पुत्र स्व हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
   1/6. इमरती पुत्री स्व0 हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. गणपत पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. किशनलाल उर्फ कृष्णलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. रामकुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. कौशल्या पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी धानविसया तहसील नोहर।
6. धर्मा पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. माली पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

<u>**निर्णय**</u> दिनांकः 22/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 429 / 866 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें पूर्व मे वादी के पिता तुलछाराम खातेदार काश्तकार थे। वादी के पिता तुलछाराम फौत हो चुके है उनकी फौतदगी के बाद उक्त कृषि भूमि विरासतन उनके तीन पुत्रगणों एवं दो पुत्रीयों क नाम दर्ज हुई तथा वादी का एक भाई भगवानाराम फौत हो चुका है। भगवानाराम के वारिसान के नाम उनके हक हिस्सा की भूमि दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 6, 7 के नाम 1/5, 1/5 हिस्स प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 वादी व प्रतिवा[illegible] 1 की बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की बुआ है उक्त वाद भूमि [illegible] चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के प[illegible] में परित्याग कर चुकी [illegible]ाद हक त्याग रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 429 / 866 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद 1 ता 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुबोध शर्मा ने वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण को ऐतराज नही होने के कारण स्वीकार किया गया। संशोधित शिर्षक व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया । प्रतिवादीगण की सहमति होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब स्टेट पेश किया जो की शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वादी के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 है। प्रतिवादीया संख्या 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible] पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 429/866 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि मे से वादीगण 1/3 हिस्सा बहिब, प्रतिवादी संख्या अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया गया है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा तुलछाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 429/866 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि हनुमान पुत्र तुलछा एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि को वादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 को बहिब, 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 892 / 2022

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर (फौत)
   1 / 1. रूणेची देवी पत्नी स्व0 हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
   1 / 2. सन्तोष पुत्री स्व0 हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
   1 / 3. प्रतापसिंह पुत्र स्व0 हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
   1 / 4. पालाराम पुत्र स्व0 हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
   1 / 5. आदराम पुत्र स्व हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
   1 / 6. इमरती पुत्री स्व0 हनुमान राम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गणपत पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. किशनलाल उर्फ कृष्णलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. रामकुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. कौशल्या पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी धानविसया तहसील नोहर।
6. धर्मा पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. माली पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 892 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 429 / 866 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि हनुमान पुत्र तुलछा एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का नाम कलमजन किया जाकर 1 / 3 हिस्सा भूमि को वादीगण संख्या 1 / 1 ता 1 / 6 को बहिब, 1 / 3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को तथा 1 / 3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:21 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर